राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 1555/2009/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, वृत–ए, भिवाडी ....अपीलार्थी

बनाम

मै0 राठी इण्डस्ट्रीज लि0,
जी.टी. रोड़, छापरूला, गाजियाबाद ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :
श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 05.04.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 542/आरएसटी/एनआरडी/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता,मुख्यालय भिवाड़ी, अलवर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.1998 के द्वारा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति राशि रूपये 26,820/–को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 07.10.1998 को वाहन संख्या आरजे–08/जी–0027 को चैक किया गया। वाहन चालाक/माल प्रभारी ने परिवहनित माल लोहा सरिया से संबंधित दस्तावेज पेश किये। प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार माल गाजियाबाद से जयपुर के लिये परिवहनित किया जा रहा था। परिवहनित माल अधिसूचित श्रेणी का था जिसके साथ घोषणा पत्र एसटी–18ए संलग्न नहीं था। अतः सशक्त अधिकारी ने वाहन चालक/माल प्रभारी को नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में जवाब पेश किया गया। सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78(5) के तहत परिवहनित माल कीमतन रू0 1,34,100/– पर शास्ति रू0 26,820/–अपने आदेश दिनांक 09.10.1998 के द्वारा व्यवसायी के विरूद्ध आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 18.03.2009 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए, आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गई।

4. प्रत्यर्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा।

5 अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

6. राजस्व पक्ष की एकतरफा बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिस, आदेश व मांग पत्र में भिन्नता पायी गयी। सशक्त अधिकारी द्वारा मै0 एक्सपोर्ट इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, जयपुर जरिये मै0 मोहम्मद हनीफ पुत्र श्री मोहम्मद नजीर वाहन चालक/वाहन संख्या आरजे–08/जी–0027 को नोटिस दिनांक 07.10.1998 का जारी किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश व्यवहारी फर्म मै0 एक्सपोर्ट इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, जयपुर के नाम से पारित किया गया एवं मांग पत्र दिनांक 09.10.1998 का मै0 राठी इण्डस्ट्रीज के नाम से जारी किया गया जो कि विरोधाभाषी था। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का पूर्ण रूप से विवेचन करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अतः इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. फलतः अपीलार्थी–राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 18.03.2009 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष